गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2000, एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक– 275 / प्रवर्तन जोन–1 / 17–18 दिनॉक 08/9/2017

परिशिष्ट–6 प्रपत्र 'ब' / भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट 6–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स एवं परिशिष्ट–11 की फोटो कॉपी साथ में संलग्न है)

राननगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद स्थित ग्राम–नूरनगर, में खसरा संख्या–1010, 1011 व 1012 के भूखण्ड क्षेत्रफल 18840.00 वर्ग मीटर पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन (एस.सी.सी. सफायर) जिसका मानचित्र संख्या–442 / जोन–1 / जी0एच0 / 14–15 दिनांक 22.07.2015 एवं शमन मानचित्र दिनांक 28.09.2015 को स्वीकृत है, के सम्बन्ध में आवेदक विकासकर्ता मैसर्स एस.सी.सी. बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा ब्लॉक बी, सी, डी, व ई के आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु दिये गए आवेदन / प्रमाण–पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 08.09.2017 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15 क (2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है।

नोटः–

1. आवेदन पत्र परिशिष्ट–6–प्रपत्र 'ब' / भाग–अ, ब, स एवं परिशिष्ट–11 / प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।
2. पार्ट सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र शर्त / प्रतिबन्ध सं0–1 से 28 के अधीन जारी किया जा रहा है, जो पृष्ठ भाग पर अंकित हैं।

08/9/17

(आर.पी.सिंह)

प्रभारी प्रवर्तन जोन–01

आर0 पी0 सिंह

अधिशासी अभियन्ता

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

ग्राम–नूरनगर, खसरा सं0–1010, 1011, 1012 पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन के आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र हेतु शर्तें/प्रतिबन्ध

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र पत्र सं.–आर–65/जे.डी./फ.स./लखनऊ–16 (गाजि.)/364 दिनाँक 08.08.17 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
2. लिफ्ट के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा एवं लिफ्ट के संचालन व अनुरक्षण से सम्बन्धित जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
3. पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पत्र सं.–1756/SEAC/1714/2013/JDCA(S) दिनाँक 12.10.2013 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. एन.जी.टी. के आदेशों के अन्तर्गत भू–जल उपयोग हेतु सी.जी.डब्लू.ए. मिनीस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में आवेदन किया गया है। उक्त विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
6. हिण्डन एयरबेस की अनापत्ति पत्र सं.–डी.वाई नं.–17726/4/ए.टी.एस. दिनांक 25.03.2015 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
7. आवेदक को उ.प्र. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्तों का पालन करना होगा।
8. ग्रीन एरिया की रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
9. बिल्डर द्वारा अपने परिसर में बनाये गए मिनी एस.टी.पी. में सीवर वाटर को ट्रीटमेन्ट करने के बाद ही निस्तारित किया जाएगा।
10. मास्टर प्लान अनुभाग की देयता का भुगतान समयबद्ध सुनिश्चित करना होगा।
11. स्वीकृत मानचित्र सं.–442/जीएच/जोन–1/14–15 दिनाँक 22.07.2015 में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
12. विद्युत उपयोग हेतु पश्मिाँचल विद्युत वितरण निगम की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकतानुसार प्रवर्तक लगाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
13. यदि किये गये निर्माण में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्पूर्ण परिसर के सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व किये गये विचलन को शमन कराना होगा।
14. आवेदक को 10 प्रतिशत पार्किंग आगुन्तकों के लिए आरक्षित करनी होगी।
15. विकासकर्ता/ए.ओ.ए. को यू.पी. अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 नियमावली–2011 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
16. एस.टी.पी. के अनुरक्षण की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
17. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/ए.ओ.ए. की होगी।
18. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण–पत्र भवन उपविधि–2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
19. मूल स्वीकृति एवं शमन तथा आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र के समय अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा दिये गये शपथ–पत्रों के कथनों का पालन करना होगा।
20. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण–पत्र किये जाते समय पुनः जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
21. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में अंकित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इसमें शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
22. भवन के स्ट्रक्चरल/एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद्/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
23. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कियान्वयन व रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
24. वाटर सप्लाई/सीवर तथा अन्य किसी भी प्रकार के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यो को हैण्डओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
25. विकासकर्ता को सम्पूर्ण लेबर सेस नियमानुसार जमा करना होगा, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
26. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त अन्य समस्त कार्य जैसे–सीवर कनैक्शन, वाटर कनेक्शन आदि के कार्य करने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
27. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
28. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने वाले वाहनों तथा अन्य निर्माणाधीन टावरों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना ना हो इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

08/9/17

(आर0पी0सिंह)

प्रभारी प्रवर्तन जोन–1,